न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम वर्मा (आरएएस)

प्रकरण संख्या :– 54 / 2016

इन्द्राज पुत्र कानाराम जाति जाट साकिन 12 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रींगगांनगर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. रिछपाल सिंह पुत्र भगतराम साकिन 15 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. औंकार सिंह पुत्र भगतराम साकिन 15 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र भगतराम साकिन 15 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः–

1. श्री मदन ज्याणी एड़. प्रार्थी की ओर से
2. श्री हरजीत सिंह एड. अप्रार्थी की ओर से
3. पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटी एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः– 8/5/17

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से तहसील घड़साना के चक 15 जीडी का प.न. 185 / 16 के किला न. 19 ता 23 की 1.138 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सलंग्न प्रा.पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से तहसील घड़साना के चक 15 जीडी के प.न. 185 / 16 मुन. 4 के किला न. 7,8,11 ता 15 की कुल 1.227 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। चक 15 जीडी के मुन. 185 / 16 के किला न. 9,10 में से नहर गुजरती है जिसके पटड़े पर रास्ता चालू है वर्तमान में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी को अपने गांव से खेत में आने जाने , कृषि यन्त्र लाने व ले जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि मुन. 185 / 16 के किला न. 12 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उक्त रास्ता इस मुरब्बा में से गुजरने वाली नहर के पटड़े पर गुजरने वाले रास्ता से जुड़ जायेगा जिससे प्रार्थी आसानी से अपनी कृषि भूमि में आ जा सकेगा। प्रार्थी के नाम से थौड़ी सी कृषि भूमि है। प्रार्थी ने अपनी उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त मुन. 185 / 16 के किला न. 12 में 1 बीस्वा रास्ता स्वीकृत

जिसमें 1बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थी को न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 4 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय में पेश है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील घड़साना के चक 15 जीडी का प.न. 185/16 मु.न. 4 के किला न. 19 ता 23 की 1.138 है0 कमाण्ड भूमि में आने जाने हेतु इसी चक 15 जीडी के प.न.185/16 मुन. 4 के किला न. 12 में 1 बीस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करे।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मद संख्या 1 व 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र मद संख्या 3 में मु.न. 185/16 के किला न. 9 व 10 में से नहर गुजरना स्वीकार है। शेष तथ्य मनगढंत बेबुनियाद, मिथ्या, बनावटी होने के कारण स्वीकार नहीं इन्कार किये जाते है वास्तविकता यह है कि मु.न. 186/16 में आवागमन के लिए मुरब्बे के आवंटन के समय से ही गैर मुमकिन रास्ता मु.न. 186/17 के किला न.. 1 से 5,6,15,16 व 25 तक स्वीकृत है जो मु.न. 185/16 के किला न. 25 में आता है तथा इसी रास्ता से प्रार्थी व अप्रार्थी व काश्तकार आवागमन करते आ रहें है। मु.न. 185/16 में तीन काश्तकारों की भूमि है, जिसमें किला न. 23 से 25 रामचन्द्र व रामकुमार नामक काश्तकारों की भूमिं है। जिसमे किला न. 23 से 25 का कास्तकार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रास्ता जो मु.न. 186/17 में से शान्तिपूर्वक आवागमन करते आ रहे है। उक्त मुरब्बा न. 185/16 में आवागमन का गैरमुमकिन रास्ता उपलब्ध होने के बावजुद भी प्रार्थी अपनी निजी सुविधा प्राप्त करने के लिए अप्रार्थी के किला में से गलत रूप से नया रास्ता स्वीकृत करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार व आधारप्राप्त नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा जारी मु.न. 185/16 में गैर मुमकिन रास्ता होने का नजरी नक्शा दिनांक 22.11.2006 का जबाव प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी अपने उक्त मुरब्बा में किला न. 25 के अन्दर से आने जाने वाले मार्ग से ही आवगमन करता आ रहा है। आज भी उसी मार्ग से कर रहा है। प्रार्थी को उक्त रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी केवल सुविधा की दृष्टि से अप्रार्थी के किला में से वैकल्पिक रूप से नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के उक्त किला में आने जाने के लिए गैर मुमकिन रास्ता पूर्व सेही स्वीकृत है। अप्रार्थीगण से मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के खेत में आवागमन करने के लिए मु.न. 186/17 के किला न. 25 में से मु.न. 185/16 के किला न. 25 में आवागमन के लिए खुला हुआ है तथा मु.न. 185/16 का किला न. 23 से 25 में काश्तकार रामचन्द्र, रामकुमार तथा प्रार्थी स्वयं गैरमुमकिन रास्ता से ही आवागमन करते आ रहें है। जब राज्य सरकार द्वारा खेत में आवागमन का गैर मुमकिन रास्ता मन्जूर है तो प्रार्थी अपनी सुविधानुसार अप्रार्थीगण के रास्ता में से नया दूसरा रास्ता मंजूर नही

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराया व प्रा. पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने चक 15 जीडी का प.न. 185/16 के किला न. 19 ता 23 की 1.138 है0 अपनी कमाण्ड कृषि भूमि में आने जाने हेतु इसी प.न. के किला न. 12 में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया है पत्रावली का उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार प.न. 185/16 के किला न. 1,2,3,6,7,8,9,10,14,15 की कुल 1.290 है0 भूमि गैर मुमकिन नहर के नाम दर्ज है। व किला न. 9/1 की 0.051 व 10/1 की .114 की कुल .165 हे0 अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व किला न. 7,8,11,12,13,14 की 1.227 है0 भूमि भी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है व किला न. 19 ता 22 की 1.338 है0 भूमि प्रार्थी इन्द्राज के नाम दर्ज हुई हे व किला न. 16 ता 18 की .759 है0 किला न. 23/1 की .127 , 24,25/.506 कुल 1.392 है0 भूमि रामचन्द्र पुत्र रामकुमार के नाम दर्ज है हल्का पटवारी चक 15 जीडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.04.17 में मु.न. 185/16 में उपरोक्त तीनों काश्तकार रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार काश्त करना व उक्त मुरब्बों में जाने के लिए किला न. 25 के मुहाने पर मु.न. 186/17 के किला न. 1,10,11,20,21 में स्वीकृत शुदा रास्ता है चूकिं मुताबिक राजस्व रिकाड्र व रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा उक्त मुरब्बों में जाने के लिए मुन. 186/17 के किला न. 1,10,11,20,21 में से स्वीकृतशुदा रास्ता है व मुन. 185/16 में 3 काश्तकार है जिसमें से एक काश्तकार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है शेष 2 काश्तकार में से एक काश्तकार को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। व तीसरें काश्तकार रामकुमार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जो इसी मु. न. की भूमि के काश्तकार है जिन्होनें भी पने जबाव प्रार्थना पत्र में खेत में आने जाने के लिए मुन. 186/17 में स्वीकृत रास्ता को उपयोग में लिया जाना व प्रार्थी द्वारा भी उपरोक्त रास्ता को उपयोग में लिये जाने का कथन किया है क्योंकि प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु पहले से ही रास्ता उपलब्ध है इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत करने का कोई आलोच्य नहीं है अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

–: आदेश :–

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्योराम वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
घड़साना